

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014-15/ 7149

दिनांक: 17.09.2020

आदेश

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण की शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं,

राजस्थान राज्य में होने वाले सरपंच एवं पंच के चुनावों में पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत निर्वाचन लड़ने के लिए नाम निर्देशन प्रस्तुत के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के मामले भी आ सकते हैं जो कोविड-19 के पोजिटिव रिपोर्ट केस हैं। जिले में कोविड-19 के पोजिटिव रिपोर्ट केसेज की संपूर्ण सूचना जिला कलक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास उपलब्ध होती है।

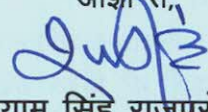
पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 25 के अन्तर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि अभ्यर्थी अपना नामनिर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिशः प्रस्तुत करेगा।

ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंच पद के लिए निर्वाचनों के शुद्ध एवं सुचारु रूप से संचालन के लिए कोविड-19 पॉजिटिव (Covid-19 positive) रिपोर्ट किये गये व्यक्तियों की स्वयं की सुरक्षा के लिए और ऐसा व्यक्ति समाज के अन्य नागरिकों को कोविड-19 की जोखिम में डालने का कारण न बने, इसके लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने एवं तत्संबंधी विषयों को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है,

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K एवं पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश जारी करता है:-

1. कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति यदि सरपंच या पंच पद का चुनाव लड़ने का आशय रखता है तो वह नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के दिन से कम से कम एक दिन पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रेषित करेगा।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर उसे संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित करेगा।
3. जिले का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर इस बात का समाधान (Satisfaction) करेगा कि क्या ऐसा कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति अपने एवं अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए जा सकता है? मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस संबंध में अपना समाधान करने में उस व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य की दशा, संक्रमण का स्तर, उपचार की स्थिति, कोविड-19 के संबंध केन्द्र/राज्य सरकार की गाईडलाइंस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल एवं इस हेतु उसे समर्थ करने के लिए आवश्यक अन्य सभी बातों का ध्यान रखेगा।
4. यदि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का इस संबंध में यह समाधान हो जाता है कि ऐसा कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति अपने एवं अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए भेजा जा सकता है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेगा।

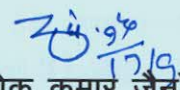
5. जिला निर्वाचन अधिकारी के निदेशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये व्यक्ति को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार की गाईडलाईन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुये तथा सुरक्षा के समस्त उपाय अपनाते हुये अपने द्वारा नामनिर्दिष्ट अधीनस्थ अधिकारी के साथ नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए भिजवायेगा।
6. चिकित्सा विभाग के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा लाया गया ऐसा कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होकर अपना नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।
7. रिटर्निंग अधिकारी पीपीई किट, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, पहनकर ऐसे व्यक्ति का नामनिर्देशन पत्र पर्याप्त दूरी रखते हुये अलग कमरे में प्राप्त करेगा। ऐसा नामनिर्देशन पत्र प्राप्त होने पर ठीक से सेनेटाईज किया जायेगा।
8. नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ऐसे कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये व्यक्ति चिकित्सा विभाग के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुये वापस यथा स्थान पहुँचाया जायेगा।
9. यदि कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा या नाम वापिसी के लिए भी उपस्थित होने का आशय रखता है तो इस संबंध में उपर्युक्त प्रक्रिया का यथाआवश्यक अनुपालन किया जायेगा।
10. इस आदेश के अन्तर्गत नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में होने वाले व्यय का आंकलन चिकित्सा विभाग द्वारा किया जायेगा तथा ऐसा आंकलित व्यय स्वयं अभ्यर्थी द्वारा वहनीय होगा।
11. शंका समाधान के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोविड-19 के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल में या अन्य तत्समय प्रभावी विधि या नियम के अन्तर्गत यदि ऐसा कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति सरकारी/प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से नहीं हटाया जा सकता, तो उस पर यह आदेश कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा और मात्र इस आदेश के आधार पर ऐसे कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये व्यक्ति को सरकारी/प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से नहीं हटाया जायेगा।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव

क्रमांक: एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014-15/7150

दिनांक: 17.09.2020

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव